महत्वपूर्ण एवं खास

17 नग बियर के साथ आरोपी गिरफ्तार, अवैध शराब पर जूटमिल पुलिस ने की कार्यवाही

रायगढ़। टाउन पेट्रोलिंग दौरान थाना प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्लास्टिक झोले में गढ़उमरिया रोड से कांशीराम चौक की ओर शराब लेकर क्षेत्र में अवैध बिक्री के लिए लेकर आ रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल थाने की पेट्रोलिंग पार्टी को जाकर कार्यवाही का निर्देश दिया गया। पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा उड़ीसा रोड पर संदेही व्यक्ति को शराब लेकर आते हुए पकड़े, पूछताछ में संदेही अपना नाम ताराचंद टंडन पिता विजय कुमार टंडन उम्र 32 साल निवासी कबीर चौक एफसीआई गोदाम के आगे काबरा गली जूटमिल कमल ट्रांसपोर्ट का मकान थाना जूटमिल तथा स्थाई पता वार्ड क्रमांक 7 छुहीपाली थाना डबरा जिला सक्ति (छत्तीसगढ़) का रहने वाला बताया जिसके प्लास्टिक झोला को चेक करने पर उसमें 17 नग बियर (12 बोतल किंगफिशर स्ट्रांग प्रीमियम और 05 नग केन बियर) रखा पाया गया। संदेही पूछताछ में अंग्रेजी शराब अवैध बिक्री के लिए लेकर जाना बताया। आरोपी से अंग्रेजी शराब 17 नग बियर कीमत रु.2520 का जप्त कर आरोपी के कृत्य पर थाना जूटमिल में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी ताराचंद टंडन को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी जूटमिल उप निरीक्षक कमल पटेल के साथ कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक शशिदेव भोय, भागीरथी चौधरी, प्रधान आरक्षक खीरेन्द्र जलतारे, आरक्षक सत्यानंद यादव और जितेंद्र दुबे की अहम भूमिका रही है।

पालीक्लीनिक रामभांठा में शुरू हुई विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्वास्थ्य सेवाएं

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम.सुश्री रंजना पैंकरा के सहयोग से पॉली क्लीनिक रामभांठा रायगढ़ में 7 फरवरी से पुन: विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा सेवा शुरू हो गई है। आज नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा पॉली क्लीनिक में कुल 47 आंख के मरीजों को विशेष चिकित्सा सेवा का लाभ प्रदान किया गया। जिसमें से कॉटरेक्ट ऑपरेशन के 11, दृष्टिदोष से पीड़ित-16, आंख से संबंधित अन्य बीमारी की जांच हेतु 20 मरीज लाभांन्वित हुये। इस अवसर पर पी.डी.बस्तिया, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, एन.यू.एच.एम. एवं डॉ.काकोली पटनायक, प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित थे। इसी तारतम्य में रायगढ़ शासकीय मेडिकल कॉलेज से शहरी पॉली क्लीनिक रामभांठा में स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसीन विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, आंख, नाक, गला के विशेषज्ञ एवं सर्जरी विशेषज्ञ भी शेड्यूल/रोस्टर अनुसार पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपस्थित रहेंगें, जिससे जनसामान्य विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा का लाभ ले पायेगें।

सील बट्टे से मां को कुचला, हत्यारा पुत्र गिरफ्तार

बलौदाबाजार (आरएनएस)। जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। घरेलू विवाद के चलते बेटे ने ये खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कसडोल थाने के नया गोरधा गांव का ये पूरा मामला है। यहां के रहने वाले शख्स और उसके मां के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। युवक ने गुस्से में अपनी मां पर सील बट्टे से हमला कर दिया। इस हमले में महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

आमजन के शिकायतों का निवारण हो प्राथमिकता-कलेक्टर

- कलेक्टर ने कहा धान खरीदी के राशि आहरण में किसानों को न हो असुविधा
- केसीसी बनाने लगेंगे कैम्प, जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाने के निर्देश
- कलेक्टर सिन्हा ने ली समय-सीमा की बैठक, पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी हुए शामिल

रायगढ़। जिले में पदस्थापना के पश्चात कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज समय-सीमा की पहली बैठक ली। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी आज बैठक में शामिल होने पहुंचे। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि जन शिकायतों का निवारण सभी अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अपना काम जिम्मेदारी व पारदर्शिता से करें। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि शासन द्वारा निर्धारित कार्यालयीन समय में ऑफिस पहुंचे, इसकी औचक जांच की जाएगी और समय पर कार्यालय नहीं आने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मुख्यालय में नहीं रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को भी स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अप डाउन की प्रवृत्ति नहीं चलेगी। अपने मुख्यालय में निवास करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रयास करना है।

कलेक्टर सिन्हा ने धान उठाव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शेष बचे धान का डीओ जारी कर तत्काल उठाव करवायें। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को अब तक हुए भुगतान के बारे में नोडल अधिकारी अपेक्स बैंक से जानकारी ली। बताया गया कि 800 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में डाल दी गई है। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि किसानों को बैंकों से पैसे निकालने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माईक्रो एटीएम के माध्यम से भी भुगतान करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने जर्जर स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य के प्रगति के बारे में भी समीक्षा की। उन्होंने निर्माण एजेंसी से कहा कि टेंडर का काम तेजी से आगे बढ़ाये। निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ होने चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि स्कूल भवनों में होने वाले कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। इसके साथ ही उन्होंने इस सत्र से स्वामी आत्मानंद स्कूलों में उन्नयन होने वाले विद्यालयों में भी रेनोवेशन का काम शुरू करने के लिए कहा। यहां बच्चों के लिए अच्छे हवादार टायलेट, लैब एवं लाईब्रेरी का प्राथमिकता से निर्माण करवाने के लिए कहा। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गोबर पेन्ट का उपयोग करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

कलेक्टर सिन्हा ने केसीसी निर्माण के बारे में चर्चा की। उन्होंने मत्स्य पालन विभाग तथा पशुपालन विभाग से इस वर्ष बनाये गये केसीसी के आंकड़ो की जानकारी ली। कम संख्या में केसीसी निर्माण पर नाराजगी जतायी और संबंधित विभागों से कहा कि दिए गए लक्ष्य अनुसार केसीसी निर्माण की संख्या बढ़ाए। इसके लिए कैम्प लगाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। कलेक्टर सिन्हा ने कृषि विभाग के अधिकारियों से जिले में सरसों तथा रागी फसल उत्पादन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों को दूसरी फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री युवा केन्द्र का लाभ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अधिक से अधिक बच्चों को दिए जाने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टायलो मण्डावी, अपर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े सहित सभी एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत व विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को एक टीम के रूप में फील्ड में करना है कार्य-एसपी सदानंद कुमार

समय-सीमा की बैठक में पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को आपसी तालमेल व समन्वय के साथ फील्ड पर काम करना है, जिससे तेजी से रिजल्ट मिले। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की अपनी भूमिका होती है और उनके अनुभवों का लाभ हम आपस में अपने काम को बेहतर करने के लिए ले सकते है। उन्होंने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के फील्ड स्टॉफ के बीच आपसी समन्वय पर जोर दिया और कहा कि इससे कई समस्याएं स्थानीय स्तर पर ही निपट जाएगी।

जल जीवन मिशन के काम में लाये तेजी

कलेक्टर सिन्हा ने जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा बैठक के दौरान की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का कार्य धीमा चल रहा है, इसमें तत्काल तेजी लाए। सभी सीईओ जनपद को उन्होंने गांव में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए भी निर्देशित किया। कलेक्टर सिन्हा ने अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश जिला खनिज अधिकारी को दिए। इसी प्रकार उन्होंने आबकारी विभाग को भी नियमित रूप से कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।

सोमवार को कार्यालयों में मिलेंगे अधिकारी, कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टर सिन्हा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले भर से लोग अपना काम लेकर जिला प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों में आते है। कई बार अधिकारियों के दौरे पर होने या अधीनस्थ अधिकारियों की मीटिंग लेने से नहीं मिल पाने के कारण लोगों को अपना काम बिना करवाये वापस लौटना पड़ता है, ऐसी स्थिति न हो इसके लिए सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से सोमवार को अपने कार्यालयों में उपस्थित रहे। इस दिन जनचौपाल भी होती है, जिसमें बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते है। सोमवार को कार्यालय में उपस्थित रहने से जिले के दूर-दराज से अपना काम लेकर आए लोग अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं रख सकेंगे।

छह दिन के विशेष अभियान में 13 स्थाई और 89 गिरफ्तारी वारंट किए गए तामील, वारंटियों को भेजा गया जेल

रायगढ़। एसएसपी सदानंद कुमार जिले का प्रभार लेते ही उनके कार्य करने का विजन उनकी कार्यवाही से साफ नजर आता है। 31 जनवरी को जिले का पदभार लेते ही उन्होंने थाना चौकी प्रभारियों को जिले के संदिग्ध बदमाशों को सूचीबद्ध कर सस्पेक्टेड, वारंटियों की धरपकड़ का निर्देश दिया गया, पिछले 6 दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में 13 स्थायी वारंटी जिनमें वर्ष 2014 से फरार हत्या, दुष्कर्म के वारंटी शामिल है जिन्हें थाना प्रभारियों द्वारा मुखबिर लगाकर गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले 6 दिनों में 89 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुए थे।

स्थाई वारंटो की तामिली में सबसे अधिक 05 स्थायी वारंट लैलूंगा पुलिस द्वारा किए गए हैं। वहीं कोतवाली और तमनार ने 2-2 एवं धर्मजयगढ़, कापू, चौकी खरसिया और भूपदेवपुर द्वारा 1-1 स्थायी वारंटियों को पकड़ा गया है।

इसी प्रकार अभियान में थाना कोतवाली ने 18 और पुसौर ने 15, जूटमिल ने 13, थाना खरसिया और चक्रधरनगर ने 10, कोतरारोड़, पूंजीपथरा और चौकी खरसिया ने 05-05, घरघोड़ा, भूपदेवपुर,कापू और चौकी जोबी ने 02-02 ने एक फरार आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है, लंबे समय से फरार वारंटियों का जेल वारंट जारी होने पर वारंटियों को जेल दाखिल किया गया है।

67 अनाधिकृत निर्माण हुए नियमित, शासन की योजना के तहत की गई अनुशंसा

- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक
- शासन की योजना का लाभ लेकर अनाधिकृत निर्माण को करा सकते है वैध
- 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, उससे अधिक होने पर क्षेत्रफल अनुसार निर्धारित की गई है राशि

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में आवासीय एवं गैर आवासीस अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें रायगढ़ निवेश क्षेत्र अंतर्गत 65 आवासीय एवं 2 गैर आवासीय प्रकरणों सहित कुल 67 प्रकरणों के नियमितीकरण (वैध करने)हेतु अनुशंसा की गई।

अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 एवं नियम 2022 लागू किया गया है। इस नियम के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किए गए अनाधिकृत निर्माण को वैध कराया जा सकेगा। इसके लिए भवन मालिकों को नगर निगम कार्यालय के भवन विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कुछ कागजात जैसे खसरा बी-1, बी-2, भवन अनुज्ञा आदि भी जमा करना होगा। अब तक प्राप्त नियमितीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के प्रकरण बनाकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजा गया। जिसके पश्चात इन प्रकरणों पर समिति की बैठक में निर्णय लेकर नियमितीकरण (वैध घोषित करने) की कार्यवाही की गई।

प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किया गया है। इनमें आवासीय प्रयोजन हेतु अनाधिकृत निर्माण में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित भवनों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, किन्तु 120 वर्ग मी.से 240 वर्ग मी.क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 240 से 360 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 360 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क की गणना की जाएगी। इसी प्रकार व्यावसायिक भूखण्डों के नियमितीकरण तथा भू उपयोग परिवर्तन के लिए भी मापदण्ड निर्धारित किए गए है।

नियमितीकरण के लिए इनसे कर सकते हैं संपर्क

नियमितीकरण से संबंधित जानकारी लेने एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए निगम के उप अभियंता मुन्ना ओझा मोबा.नंबर 7389810253, सहायक अभियंता सूरज कुमार देवांगन मोबा. नं.87702-86364 एवं लिपिक प्रदीप तिवारी 7987112918 पर संपर्क कर सकते हैं।

सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी का घरघोड़ा ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार

- 3.50 लाख रुपए इंवेस्ट कराकर फर्जी बाण्ड पेपर देने की शिकायत पर घरघोड़ा पुलिस ने की कार्यवाई

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी (स्टार मल्टीपरपर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी) के घरघोड़ा ब्रांच मैनेजर प्रदीप चक्रवर्ती के विरूद्ध 6 साल में इंवेस्ट रकम दुगना करने की प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रांच मैनेजर पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक कल 06 फरवारी को रिपोर्टकर्ता डॉ0 रामचरण मिश्रा (उम्र 64 वर्ष) निवासी अग्रसेन भवन के पास वार्ड क्र. 9 बरमकेला, थाना बरमकेला, जिला सारंगढ-बिलाईगढ़ (छ.ग.) लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि माह सितम्बर/2016 में उसके घर सहारा इंडिया (STARS MULTIPURPOSE COOPERATIVE SOCIETY LIMITED) के फ्रेंचाइजी मैनेजर शाखा घरघोड़ा का प्रदीप चक्रवर्ती आया और सहारा इंडिया कंपनी के विभिन्न स्कीमों के बारे में बताकर बोला कि सहारा में रकम निवेश करने पर 06 वर्षों में पॉलिसी रकम दोगुना होगा। तब प्रदीप चक्रवर्ती के प्रलोभन में आकर अधिक लाभ के उद्देश्य से अपने और अपनी पत्नी कल्पना मिश्रा के नाम पर कुल 3,50,000 रू का पॉलिसी खरीदा। उसके बाद अपने परिचितों को भी सहारा इंडिया के बारे में बताया, वे भी कपंनी में इंवेस्ट किये। इन्होंने घरघोड़ा आफिस जाकर रूपये जमा किये। कुछ दिनों बाद प्रदीप चक्रवर्ती फोन बॉण्ड पेपर लेने घरघोड़ा ऑफिस बुलाया। आफिस में कम्प्यूटर का प्रिंटर खराब है कहकर हाथ से लिखा उसका हस्ताक्षर सील लगा हुआ बॉण्ड पेपर दिया। पॉलिसी की परिपक्वता अवधि 06 वर्ष पूर्ण होने पर घरघोड़ा स्थित सहारा ऑफिस गये तो पता चला कि सहारा ऑफिस घरघोड़ा का बंद होकर रायगढ़ इतवारी बाजार सिफ्ट हो गया है। तब इतवारी बाजार स्थित सहारा कार्यालय में जाकर संपर्क किये। जहां पता चला कि बॉण्ड पेपर व पॉलिसी का कम्प्यूटर में कोई एन्ट्री नहीं है और चारों बॉण्ड पेपर फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। तब अपने परिचितों के साथ प्रदीप चक्रवर्ती के घर सोनुमुडा रायगढ़ जाकर पता किये। प्रदीप टाल-मटोल कर जवाब दिया तथा रकम वापस कर देने की बात से इंकार कर दिया और दिनांक 08.09.2022 को नोटरी के समक्ष रूपये लौटाने का इकरारनामा किया। इकरारनामा निर्धारित अवधि में भी प्रदीप द्वारा रकम वापस नहीं किया। सहारा इंडिया कंपनी कार्यालय घरघोडा के फ्रेंचाईजी मैनेजर प्रदीप चक्रवर्ती पिता सी.आर. चक्रवर्ती निवासी सोनुमुडा रायगढ़ द्वारा कंपनी में इन्वेस्ट कराने के नाम रकम लेकर कूटरचित फर्जी बॉड पेपर देकर कुल 3,50,000 रूपये का धोखाधड़ी की शिकायत पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 40/2023 धारा 420,467,468,471 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस ने पीड़ित एवं गवाहों के बयान लेकर विवादित दस्तावेज बॉण्ड पेपर तथा इकरारनामा जप्त किया गया और आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी के लिये दबिश दिये। इस दौरान आरोपी प्रदीप चक्रवर्ती को घरघोड़ा में हिरासत में लिया गया। आरोपी ने घटना में प्रयुक्त रबर सील मुहर को साक्ष्य छिपाने की नियत से तोड़कर फेंक देना और ठगी में प्राप्त रकम को निजी कार्य में खर्च कर देना बताया। प्रकरण में साक्ष्य छिपाने की धारा 201 आईपीसी जोड़कर आरोपी प्रदीप चक्रवर्ती पिता स्व. चितरंजन चक्रवर्ती उम्र 57 वर्ष निवासी सोनुमुडा नावापारा वार्ड क्र. 37 बजरंगबली मंदिर के पास रायगढ़ थाना जूटमील, जिला रायगढ़ (छ.ग.) से बचत रकम तथा नमूना हस्ताक्षर लेकर आरोपी को घटना कारित करना पाते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जिले में फाइलेरिया मुक्त अभियान चलाए जाने के संबंध में बैठक आयोजित

रायगढ़। सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले के आईएमए के सदस्य एवं विकासखंड व निजी चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें फाइलेरिया से बचाव संबंधी निर्देशों के बारे में बताया गया। आगामी 10 फरवरी से जिले मे फाइलेरिया अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। जिसमें फाइलेरिया व उसके रोकथाम नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रमित रोग है। इस रोग से व्यक्ति किसी भी उम्र में संक्रमित हो सकता है। फाइलेरिया के लक्षण हाथ व पैर की सूजन, हाइड्रोसिल के अलावा महिलाओं के स्तन में भी सूजन की समस्या पाई जाती है।

फाइलेरिया दवा के फायदे- यह फाइलेरिया के परजीवीयों को मार देती है और आपको हाथीपाव व हाइड्रोसिल जैसे बीमारियों से बचाव करती हैं। जिले में फाइलेरिया कार्यक्रम उन्मूलन के तहत 13.35 लाख व्यक्तियों को दवा सेवन कराया जायेगा। जिसमें 2269 सर्वे दल 4538 सदस्यों द्वारा 454 सुपरवायजर, 45 सेक्टर सुपरवायजर द्वारा दवा खिलायी जायेगी। बैठक में जिला मलेरिया अधिकारी डॉ.टी.जी कुलवेदी, जिला नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ.बी.पी.पटेल, जिला मीडिया अधिकारी उमा महंत व अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए।

सड़क निर्माण के काम में दिखनी चाहिए प्रगति -कलेक्टर

- हफ्तेभर में हुए सड़क निर्माण कार्यों के प्रोग्रेस की कलेक्टर सिन्हा ने की समीक्षा

रायगढ़। पदस्थापना के दिन ही जिले में सड़क निर्माण एजेंसियों की बैठक लेकर कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा था हर हफ्ते वे काम के प्रोग्रेस की समीक्षा करेंगे। इसी कड़ी में कलेक्टर सिन्हा ने आज सड़क निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ ही काम कर रहे ठेकेदारों की संयुक्त बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ली। उन्होंने जिले के सभी प्रमुख सड़कों के निर्माण की वर्तमान स्थिति जानी और कहा कि अभी निर्माण कार्यों के लिए सबसे सही समय है ऐसे में सड़कों का काम तेजी से होना चाहिए। उन्होंने अगले दस दिनों में काम की स्पीड और बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्थानों पर भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां काम में तेजी दिखनी चाहिए। निर्माण कार्य के दौरान कई जगहों पर कुछ दिक्कतों या लॉ एण्ड आर्डर के मामले आते है तो तत्काल सूचित करें जिससे उसका तुरंत निराकरण किया जा सके। हमें कोशिश करनी है कि ऐसे मामलों से काम की गति प्रभावित न हो।

कलेक्टर सिन्हा ने आज विभिन्न विभागों द्वारा जिले में करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों की अब तक की प्रगति और आगे की कार्ययोजना की सड़कवार समीक्षा की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता से खरसिया से छाल से हाटी से धरमजयगढ़-पत्थलगांव मार्ग, रायगढ़ से धरमजयगढ़ मार्ग, घरघोड़ा से पूंजीपथरा मार्ग व घरघोड़ा से लैलूंगा मार्ग के विभिन्न हिस्सों में चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में रॉ-मटेरियल रखें। फिनिशिंग लेयर में गाडिय़ां न चले इसकी व्यवस्था की जाए। आवश्यकतानुसार ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस विभाग का भी सहयोग लें।

कलेक्टर सिन्हा ने पीएमजीएसवाई, नेशनल हाईवे, एडीबी विभाग के काम-काज की भी समीक्षा की। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायस्त, ईई पीडब्ल्यूडी आर.के. खाम्बरा सहित पीएमजीएसवाई, नेशनल हाईवे, एडीबी, सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

एनीमिया और कुपोषण दूर करने स्वास्थ्य व महिला बाल विकास विभाग मिलकर करें काम-कलेक्टर

- संयुक्त बैठक में कलेक्टर सिन्हा ने विशेष कार्ययोजना के साथ कार्य करने के दिए निर्देश

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि जिले को एनीमिया और कुपोषण मुक्त करना है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। जिससे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को एनीमिक व कुपोषित होने से बचाया जा सके। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ अबिनाश मिश्रा भी मौजूद रहे।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार के मंशानुरूप हमें कुपोषण मुक्ति की दिशा में गंभीरता से कार्य करना है। उन्होंने विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले की गर्भवती महिलाओं पर फोकस करें, जिससे बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सके। उन्होंने सुपोषण की दिशा में की जा रही कार्यो की जानकारी ली। डीपीओ टी.के.जाटवार ने बताया कि वजन त्यौहार के माध्यम से कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर पोषण पुनर्वास केन्द्र में भेजा जा रहा है। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि कुपोषित बच्चों के अनुपात के अनुसार एनआरसी में बेड रिक्त है, यह अच्छी स्थिति नहीं है, इसमें तत्काल सुधार लाए। एनआरसी के बेड भरे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एनआरसी में बच्चो के मनोरंजन व खेलने के लिए आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे अन्य लोग एनआरसी में आने के लिए प्रेरित हो सके। उन्होंने एनीमिक महिलाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को खानपान एवं प्रदाय की जा रही दवाईयों के नियमित सेवन के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। जिससे उन्हे एनीमिक होने से बचाया जा सके। इसके साथ ही कलेक्टर सिन्हा ने डीपीओ जाटवर को निर्देशित किया कि कुपोषण मुक्त करने के लिए महिलाओं एवं बच्चों को गर्म भोजन, अण्डा नियमित रूप से प्रदान करना प्रारंभ किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ जैसे गुड़, चना, फल्ली, मोटे अनाजों के सेवन के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास को संयुक्त कार्ययोजना बना कर कुपोषण मुक्ति की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। जिसमें खासकर 14 साल से अधिक उम्र की किशोरी बालिकाओं को विशेष रूप से जागरूक करने के निर्देश दिए। जिससे वे एनीमिया जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या के प्रति समय रहते जागरूक हो सके व भविष्य में इसकी चपेट में आने से बचे। साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए।

हमर लैब का काम जल्द पूरा करने के निर्देश- बैठक में कलेक्टर सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की भी समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विकासखंडो के हमर लैब निर्माण के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर ने बताया कि खरसिया एवं लोईंग में हमर लैब प्रारंभ हो गया है एवं अन्य स्थानों में निर्माण कार्य प्रगतिरत है। कलेक्टर सिन्हा ने निर्माण कार्य की गति बढ़ाने ने निर्देश दिए। ओपीडी की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी बीएमओ को ओपीडी संख्या बढ़ाने व आनलाइन एंट्री करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध मानव संसाधन की भी जानकारी ली एवं सीएमएचओ को निर्देशित किया कि धरमजयगढ़ जैसे अन्य सुदूर क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने विशेषज्ञ डॉक्टर एवं स्टॉफ की कमी दूर करें।

टीबी उन्मूलन के लिए चलेगा कैंपेन- कलेक्टर सिन्हा ने टीबी उन्मूलन पर भी चर्चा की। उन्होंने इसके लिए विशेष प्रोजक्ट बनाने के निर्देश दिए। जिसमें टीबी के कारण, रोकथाम और निदान के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें उपचार की सुविधा प्रदान की जाए। कलेक्टर सिन्हा ने आयुष्मान कार्ड की अद्यतन जानकारी ली, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि कार्ड नियमित रूप से बनाया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480